*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब० / ना०नि०–02–10 / 2017 167 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, मधुबनी।

पटना, दिनांक– 28/3/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹10365.00 लाख (एक सौ तीन करोड़ पैंसठ लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹375.25 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख पचीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।**

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹10365.00 लाख (एक सौ तीन करोड़ पैंसठ लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश सं०–166 दिनांक–28/3/18 के आलोक में तत्काल कुल ₹375.25 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख पचीस हजार रु०) मात्र तालिका के अनुरूप निम्नवत् आवंटित की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, मधुबनी	मधुबनी स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना।	10365.00	375.25	9989.75

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹375.25 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख पचीस हजार रु०) मात्र।

2. योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।

3. आवंटित कुल ₹375.25 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख पचीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधुबनी होंगे,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। ***कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधुबनी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, बुडको को हस्तांतरित की जायेगी।*** **राशि की निकासी किसी भी**

परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. आवंटित राशि ₹375.25 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख पचीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2215–जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लधुशीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0101–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2215027890101,** विषय शीर्ष– 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि आवंटित की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 27.03.2018 को आयोजित बैठक के मद संख्या– 01 द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–10/2017 167 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–28/3/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

* ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–10/2017 166 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 28/3/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹10365.00 लाख (एक सौ तीन करोड़ पैंसठ लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹375.25 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख पचीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹10365.00 लाख (एक सौ तीन करोड़ पैंसठ लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹375.25 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख पचीस हजार रु०) मात्र तालिका के अनुरूप निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, मधुबनी	मधुबनी स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना।	10365.00	375.25	9989.75

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹375.25 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख पचीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।

3. स्वीकृत कुल ₹375.25 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख पचीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधुबनी होंगे,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की

निकासी की जायेगी। ***कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधुबनी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, बुडको को हस्तांतरित की जायेगी।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।**

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. स्वीकृत राशि ₹375.25 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख पचीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2215–जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लधुशीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0101–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2215027890101,** विषय शीर्ष– 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 27.03.2018 को आयोजित बैठक के मद संख्या– 01 द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०नि०–02–10/2017 के पृष्ठ सं०– 26 /टि० पर दिनांक– 28.03.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 27 /टि० पर दिनांक– 28.03.2018 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–10/2017 166 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 28/03/18

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.18

सरकार के विशेष सचिव।